कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक : स्था0 / 23 / 2026 / 4916 दिनांक : 18 / 11 / 2026

–::आदेश::–

इस न्यायक्षेत्र में कार्यरत श्री मनोज कुमार शर्मा, लिपिक ग्रेड–II को वित्त विभाग के परिपत्र दिनांकित 05.05.2026 के क्रम में प्रभारी अधिकारी लेखा शाखा के द्वारा अधिरोपित आक्षेप के क्रम में जारी पत्र क्रमांक 381 दिनांक 02.07.2026 एवं राजस्थान सरकार कार्मिक (क) विभाग क्रमांक.प.3(1) कार्मिक / क–2 / 2013 जयपुर, दिनांक 02.06.2020 के परिपत्र अनुसार अनुकम्पात्मक नियम, 1996 के स्पष्टीकरण के अनुसार निम्न तालिका के कॉलम 03 में पूर्व स्वीकृत 09 वर्षीय चयनित वेतनमान / एसीपी आदेश को निम्न तालिका अनुसार पुनः अनुमोदित / स्वीकृत कर किया जाता है:–

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम, पद व पदस्थापन न्यायालय का नाम	पूर्व न्यायक्षेत्र का नाम व स्वीकृति आदेश क्रमांक एवं दिनांक	कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति दिनांक, पद विवरण	कर्मचारी की प्रथम एसीपी, 09 वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने की दिनांक
01	02	03	04	05
1.	श्री मनोज कुमार शर्मा, **लिपिक ग्रेड–II** न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय, क्रम सं0 01, जयपुर महानगर–II प्रथम नियुक्ति दिनांक 28.06.2004 लिपिक ग्रेड–II	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा स्था / 2017 / 240 दि. 19.12.2017	28.06.2004 लिपिक ग्रेड–II	09 वर्ष 28.06.2013

नोट:–

01. श्री शर्मा को शेट्ठी पे–कमीशन के अन्तर्गत एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि नियमानुसार देय होगी।
02. कर्मचारी का वेतनस्थिरीकरण आदेश इस कार्यालय द्वारा पृथक से जारी किया जावेगा।
03. कर्मचारी को नियमानुसार एरियर का भुगतान किया जावें।
04. उपरोक्त आदेश का इन्द्राज संबंधित कर्मचारी की सेवापुस्तिका में किया जावें।

–Sd–
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक : स्था0 / 23 / 2026 / 4917 दिनांक : 18 / 11 / 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा), जिला न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय।
02. श्रीमान् कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर।
03. संबंधित न्यायालय न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय, क्रम–01, जयपुर महानगर–II जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि श्री शर्मा के सेवाभिलेख में शेट्ठी पे–कमीशन के अन्तर्गत देय एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि के इन्द्राज उपरान्त् नियमानुसार पूर्व स्वीकृत वेतनवृद्धियों को उपरोक्तानुसार एसीपी देय दिनांक 28.06.2013 तक संशोधित की जाकर उपरोक्त आदेश के क्रम में वेतनस्थिरीकरण हेतु प्रकरण पुनः इस कार्यालय को प्रेषित करें।
04. संबंधित कर्मचारी .....
05. सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
06. आदेश पत्रावली / संबंधित पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

18.11.26
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर–द्वितीय